छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

आदेश

नया रायपुर, दिनांक 28 NOV 2017

क्रमांक 2943 /एफ 29/01/2016/13/2:: यतः राज्य शासन की यह राय है कि औद्योगिक या आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त मंदी के कारण राज्य में संचालित उद्योगों के, बंद होने की स्थिति में, इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के बड़ी संख्या में बेरोजगार होने की संभावना तथा राज्य के राजस्व पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए, यह आवश्यक एवं समीचीन है, कि विशेष पैकेज के अंतर्गत दिनांक 01 अप्रेल 2017 से 30 सितम्बर 2017 की कालावधि में लागू विशेष रियायती पैकेज के अंतर्गत विद्युत शुल्क में विभिन्न रियायतों को यथा संशोधित रूप में लोकहित में दिनांक 01 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक बढ़ाया जाए।

अतएव, राज्य शासन एतद्द्वारा, विद्युत शुल्क में 01 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक की कालावधि में खपत की गई बिजली की मात्रा पर देय विद्युत शुल्क में निम्नानुसार छूट प्रदान करती है:-

1. 02 मिलियन टन वार्षिक क्षमता तक के ऐसे स्टील उत्पादक जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से विद्युत सप्लाई प्राप्त कर रहें है तथा 20 एम.व्ही.ए. तक विद्युत भार तक के अन्य स्टील उद्योग जिसमें सम्मिलित सभी इस्पात संयंत्र, रोलिंग मिल, स्पंज आयरन संयंत्र, फैरो एलॉयज, स्टील कॉस्टिंग, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, राईस/दाल मिल, साल्वेंट प्लांट, लघु एवं मध्यम उद्योग, सभी विनिर्माण इकाईयां, पोल्ट्री फार्म तथा एग्रीकल्चर एलाईड और अन्य कनेक्शन जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से विद्युत प्राप्त करते है, पर वर्तमान में लागू विद्युत शुल्क की दर जो 6 (छः) प्रतिशत है को 3 (तीन) प्रतिशत किया जाए।
2. राज्य में 02 मिलियन टन से कम क्षमता वाले ऐसे स्टील उद्योग जो स्वयं के केप्टिव प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग स्टील इकाई में कर रहे है, हेतु वर्तमान में लागू विद्युत शुल्क की 15 प्रतिशत दर को 3 प्रतिशत किया जाए।
3. राज्य में 02 मिलियन टन से कम क्षमता वाले ऐसे स्टील उद्योग जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट के ऑक्जलरी खपत पर वर्तमान विद्युत शुल्क की 15 प्रतिशत की दर को 6 प्रतिशत किया जाए।
4. राज्य में 02 मिलियन टन से अधिक क्षमता वाले ऐसे स्टील उद्योग जो के स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग स्वयं के स्टील इकाई में करते है, हेतु वर्तमान में लागू विद्युत शुल्क की 15 प्रतिशत की दर को 9 प्रतिशत किया जाए।
5. उपरोक्तानुसार विद्युत शुल्क में दिनांक 01 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक की कालावधि हेतु छूट दी जाए।

28/11/17

(एम0एस0 रत्नम्)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
ऊर्जा विभाग

पृष्ठां.क्रमांक: 2944 / एफ 29/01/2016/13/2 नया रायपुर, दिनांक 28 NOV 2017

प्रतिलिपिः:—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी एवं भारसाधक मंत्री, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर।
4. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. सचिव, छ0ग0 शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. विशेष सचिव, छ0ग0 शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. सचिव, छ0रा0 विद्युत नियामक आयोग, शांति नगर, रायपुर।
8. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग/उत्पादन/पारेषण/वितरण/ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मुख्य विद्युत निरीक्षकालय, छत्तीसगढ़ शासन, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
10. डायरेक्टर, (संचालन संधारण)/(कमर्शियल एण्ड रेग्युलेटरी अफेयर्स), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर।
11. डायरेक्टर, जनसम्पर्क विभाग, छ0ग0 शासन, नया रायपुर की ओर प्रचार–प्रसार हेतु।

28/11/17

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी

ऊर्जा विभाग